

तारीख: 23.1.2019

### आदेश

'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में और दिनांक 25.7.2018 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है:-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. श्रीमती सुमन सुचिता बारा, निदेशक  | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव   | - | सदस्य   |
| 3. श्रीमती सविधा मोहन, अनुभाग अधिकारी                                      | - | सदस्य   |
| 4. सुश्री मृगनयनी पांडेय, सहायक निदेशक (हिंदी)                             | - | सदस्य   |
| 5. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (गैर सरकारी संस्था), नई दिल्ली<br>का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य   |

समिति 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के उपबंधों के अनुसार बैठक और कार्य करेगी। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

यह सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-  
(मनीष गुप्ता)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन नं.011-23034467

प्रतिलिपि:

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. डॉ. रंजना कुमार, निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2 नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से एक प्रतिनिधि उपरोक्त समिति पर सदस्य के रूप में नामित करने की कृपा करें तथा उसका विस्तृत पता इत्यादि भेजें।
3. महिला और बाल विकास मंत्रालय (श्री वी.एस. यादव, उप सचिव), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. श्री एस.के. सिन्हा, तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
5. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।